पटना समाहरणालय, पटना।

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना के पत्र संख्या–1/प्रा०आ०–0–3–29/2012 94(स०अनु०)/आ०प्र० दिनांक 28.02.2013 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष– 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप मुख्य शीर्ष– 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष –200– अन्य कार्यक्रम– उपशीर्ष –0008– गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान विपत्र कोड एन० 2235602000008 मद् में 21.217 (इक्कीस लाख इक्कीस हजार सात सौ) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे निम्नरूपेण उपावंटित करते हुए संबंधित कोषागार से वित्तीय वर्ष 2012–13 में निकासी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मांग संख्या–39 यूनिट कोड– 31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावे)

(लाख रूपये में)

क्रमांक	उपावंटित पदाधिकारी का पद नाम	पूर्व उपावंटित राशि	वर्त्तमान उपावंटित राशि	योग
1	2	3	4	5
01.	नजारत उप समाहर्त्ता, पटना	**0.00**	**21.217**	**21.217**
	कुल उपावंटित राशि :–	**0.00**	**21.217**	**21.217**
	जिला में आवंटन के रूप में सुरक्षित राशि			**0.00**
	कुल योग :–			**21.217**

1. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष– 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप मुख्य शीर्ष– 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष –200– अन्य कार्यक्रम– उपशीर्ष –0008– गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान विपत्र कोड एन० 2235602000008 मद् में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
2. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद् में किया जाय जिस मद् के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद् में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
3. यह उपावंटन नजारत उप समाहर्त्ता, पटना के पत्रांक 1209/नजा० दिनांक 07.12.12 के आलोक में दिया जा रहा है जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति छठ पर्व 2012 के अवसर पर दिनांक 19.11.2012 को अदालत घाट, पटना में घटित दुर्घटना में मृत/घायल व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान अभिलेख संख्या 01/2012–13 में प्रदत्त की गई है।

4. उपावंटित राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय–सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को शीघ्र भेज दी जाय।

5. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष–लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का स्पष्ट रूप से उल्लेख की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। कृपया एक विपत्र पर एक ही उप शीर्ष की राशि की निकासी की जाय ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण में कठिनाई नहीं हो।

6. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि०(2)] दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आकस्मिकता निधि की राशि से व्यय होनेवाली राशि के लिए तैयार किये गये विपत्र/विपत्रों के ऊपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से **"8000– आकस्मिकता निधि"** अंकित किया जाय।

7. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2013 के पूर्व निश्चित रूप से कर देंगे। अन्यथा, इसके लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खातें में नहीं रखी जाय।

ह०/–
जिला पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक IV-14/2013 232/आ०प्र०, दिनांक 04.03.2013

प्रतिलिपि :– नजारत उप समाहर्त्ता, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०,पटना/आई०टी० मैनेजर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश को पटना जिला के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
पटना।